



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269679
CG-DL-E-30012026-269679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]
No. 64]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

फा. सं. एल-1/257/2020(पीएमआर-4)/सीईआरसी.—वर्चुअल विद्युत क्रय करार के लिए दिशानिर्देश

1. परिचय

- 1.1 भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संस्थापित क्षमता के 500 जीडब्ल्यू के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आरई क्षमता के संवर्धन में उल्लेखनीय प्रगति की है। आरई क्षमता के संवर्धन की प्रक्रिया को गति देने के लिए, केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14(ड) और (भ) के अधीन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ परामर्श में, नामित उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा उपभोग के न्यूनतम अपेक्षित शेयर को विनिर्दिष्ट किया है। इसमें उपभोक्ता श्रेणी के आधार पर विभिन्न गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत की विभिन्न उपभोग आवश्यकताएं जैसे कि विद्युत वितरण अनुज्ञापतिधारी, निर्बाध-पहुंच उपभोक्ता, और कैप्टिव उपयोगकर्ता उनके कुल विद्युत उपभोग के संबंध में शामिल हैं। नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट आरसीओ लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी भी कमी को गैर-अनुपालन के रूप में माना जाता है, और तदनुरूप जुर्माना लगाया जाता है।

- 1.2 अंतर्राष्ट्रीय तरीकों के अध्ययन के आधार पर, यह सामने आया है कि वर्चुअल विद्युत क्रय करार (वीपीपीए) को नामित उपभोक्ताओं को उनके आरसीओ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक अन्य साधन के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- 1.3 वीपीपीए, प्रकृति और संरचना के मामले में नवोन्मेषी अनुबंध होने के कारण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने वीपीपीए के संबंध में विनियामक न्यायनिर्णयन पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) से राय मांगी। एसईबीआई ने सीईआरसी को दिनांक 31 जनवरी, 2025 के अपने पत्र में, राय दी कि वीपीपीए द्विपक्षीय ओवर द काउंटर (ओटीसी) अनुबंध हैं, जो कि गैर-व्यापार योग्य और गैर-अंतरणीय हैं। अतः यदि वीपीपीए या ऐसे किसी ओटीसी अनुबंध को गैर-अंतरणीय विनिर्दिष्ट डिलीवरी (एनटीएसडी) के रूप में माना जाता है, तो प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 (एससीआरए) के उपबंध लागू नहीं होंगे, और ऐसे अनुबंध सीईआरसी के विनियामक कार्यक्षेत्र के अधीन आएंगे।
- 1.4 विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 3 मार्च, 2025 की संसूचना द्वारा सीईआरसी को विनियमित इकाइयों द्वारा आरसीओ अनुपालन को सुकर बनाने के लिए एनटीएसडी-आधारित ओटीसी अनुबंधों के रूप में वर्चुअल विद्युत क्रय करारों हेतु समुचित विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए अनुरोध किया है।
- 1.5 उपर्युक्त के अनुसरण में, और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 के विनियम 54(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है।

2. शीर्षक और प्रयोज्यता

- 2.1 इन दिशानिर्देशों को "वर्चुअल विद्युत क्रय करार के लिए दिशानिर्देश" कहा जा सकता है।
- 2.2 ये दिशानिर्देश आयोग द्वारा पृथक रूप से यथा अधिसूचित तारीख से प्रवृत्त होंगे और इनकी समीक्षा समय-समय पर या जब भी आयोग तय करेगा, की जाएगी।
- 2.3 ये दिशानिर्देश उनमें यथा परिभाषित वर्चुअल विद्युत क्रय करार (वीपीपीए) करने वाले पक्षों पर लागू होंगे।

3. दिशानिर्देशों का दायरा

- 3.1 ये दिशानिर्देश वीपीपीए के लिए सांविधिक ढांचे के बारे में वर्णन करते हैं।

4. परिभाषाएं

- 4.1 इन दिशानिर्देशों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - क) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है।
 - ख) "उपभोक्ता" की परिभाषा वही होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 में उल्लिखित है।
 - ग) "नामित उपभोक्ता" की परिभाषा वही होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित है।
 - घ) "ओवर द काउंटर (ओटीसी) अनुबंध" की परिभाषा वही होगी जो विद्युत बाजार विनियम, 2021 में उल्लिखित है।
 - ङ) "पावर एक्सचेंज" की परिभाषा वही होगी जो विद्युत बाजार विनियम, 2021 में उल्लिखित है।
 - च) "विद्युत बाजार विनियम" या "पीएमआर 2021" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 या उसका कोई उत्तरवर्ती अधिनियमन अभिप्रेत है।
 - छ) "नवीकरणीय उपभोग बाध्यता" या "आरसीओ" का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा परिभाषित है।

- ज) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र" या "आरईसी" वही अर्थ होगा जैसा कि आरईसी विनियमों के अधीन यथा परिभाषित है।
- झ) "नवीकरणीय क्रय बाध्यता" या "आरपीओ" का वही अर्थ होगा जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ड) के उपबंधों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट है।
- ञ) "आरईजीएस" की परिभाषा वही होगी जैसा कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 में उल्लिखित है।
- ट) "आरईसी विनियम" से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022 या उसका कोई उत्तरवर्ती अधिनियमन अभिप्रेत है।
- ठ) "व्यवस्थापन कीमत" से आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के अलावा प्रयोजनों के लिए विद्युत की बिक्री हेतु पावर एक्सचेंज में या विद्युत अधिनियम, 2003, या पीएमआर 2021 के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य मोड के माध्यम से खोजी गई कीमत अभिप्रेत है।
- ड) "व्यापार अनुज्ञापतिधारी" की परिभाषा वही होगी जैसा कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञापति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 में उल्लिखित है।
- ढ) "वर्चुअल विद्युत क्रय करार (वीपीपीए)" से उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता और आरईजीएस के बीच की गई एनटीएसडी आधारित ओटीसी अनुबंध अभिप्रेत है, जहाँ उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता करार की सम्पूर्ण अवधि के लिए आरईजीएस को परस्पर सहमति से निर्धारित कीमत (वीपीपीए स्ट्राइक कीमत) के भुगतान की गारंटी देता है। आरईजीएस विद्युत एक्सचेंज में या विद्युत अधिनियम, 2003 या पीएमआर 2021 के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य मोड के माध्यम से विद्युत की बिक्री करेगा, और ऐसी बिक्री आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के अलावा प्रयोजनों के लिए होगी। वीपीपीए स्ट्राइक कीमत और व्यवस्थापन कीमत के अंतर को आपसी सहमति के निबंधनों के अनुसार संविदा करने वाले पार्टियों के बीच द्विपक्षीय रूप से व्यवस्थापित किया जाएगा।
- ण) "वीपीपीए स्ट्राइक कीमत" से विद्युत की वह कीमत अभिप्रेत है जिस पर उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता और आरईजीएस परस्पर रूप से सहमत होते हैं।

4.2 यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक कि संदर्भ से या विषय-वस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003, या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, या उसके अधीन निर्मित अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियमों या अन्य विनियमों में उन्हें प्रदान किया गया है।

5. वर्चुअल विद्युत क्रय करार (वीपीपीए) का विहंगावलोकन

- 5.1 इन दिशानिर्देशों के अधीन आरईजीएस और उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता के बीच वर्चुअल विद्युत क्रय करार की निम्नलिखित अनिवार्य विशेषताएं होंगी:
- क) आरईजीएस द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री, भौतिक डिलीवरी के लिए विद्युत अधिनियम, 2003, या पीएमआर 2021 के अधीन प्राधिकृत किसी मोड के माध्यम से होगी;
- ख) आरईजीएस को जारी किए गए आरईसी उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को अंतरित किए जाएंगे;
- ग) वीपीपीए, द्विपक्षीय ओटीसी गैर-व्यापार योग्य और अनंतरणीय अनुबंध होगा; और
- घ) वीपीपीए कम से कम 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 5.2 उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता आरईजीएस के साथ आपसी सहमति से निर्धारित वीपीपीए स्ट्राइक कीमत पर वीपीपीए निष्पादित कर सकता है।
- 5.3 आरईजीएस आपसी सहमति से निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003, या पीएमआर 2021, के अधीन प्राधिकृत किसी मोड के माध्यम से विद्युत की बिक्री करेगा, और ऐसी बिक्री आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के अलावा प्रयोजनों के लिए होगी।

5.4 उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को अंतरित किए गए आरईसी व्यापार के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. कार्यान्वयन व्यवस्था

- 6.1 उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता, आरईजीएस के साथ आपसी सहमति से निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर ओवर द काउंटर अनुबंध के रूप में वीपीपीए कर सकता है।
- 6.2 आरईजीएस, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022, और उसके संशोधनों के अनुसार पंजीकृत होंगे।
- 6.3 आरईजीएस को पावर एक्सचेंज या विद्युत अधिनियम, 2003, या पीएमआर 2021 के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य मोड के माध्यम से विद्युत की बिक्री की अनुमति होगी, और ऐसी बिक्री आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के अलावा प्रयोजनों के लिए होगी। इस प्रकार प्राप्त आरईसी को उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को अंतरित किया जाएगा जो आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के लिए ऐसी आरईसी का उपयोग कर सकेगा।
- 6.4 आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के लिए वीपीपीए गैर-व्यापार योग्य और गैर-अंतरणीय होगा, और अनुबंध करने वाली पार्टियाँ अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए अनुबंध निबंधनों द्वारा बाध्य होंगे। स्वामित्व के परिवर्तन के मामले में, वीपीपीए के अधीन आरईजीएस के दायित्व लागू विधि के अनुसार अंतरित होंगे।

7. भुगतान के निबंधन

- 7.1 आरईजीएस, विद्युत अधिनियम, 2003, या पीएमआर 2021 के अधीन प्राधिकृत अन्य किसी मोड या पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की बिक्री करेगा, और ऐसी बिक्री आरपीओ/आरसीओ अनुपालन के अलावा प्रयोजनों के लिए होगी। वीपीपीए स्ट्राइक कीमत और व्यवस्थापन कीमत के अंतर को आपसी सहमति से निर्धारित किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुबंध करने वाली पार्टियों के बीच द्विपक्षीय रूप से व्यवस्थापित किया जाएगा।

8. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र

- 8.1 वीपीपीए के माध्यम से अनुबंधित आरईजीएस क्षमता, आरईसी विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराने पर आरईसी जारी करने के लिए पात्र होगी। आरईजीएस, उक्त आरईजीएस क्षमता के किसी डबल अकाउंटिंग से बचने के लिए वीपीपीए के माध्यम से अनुबंधित क्षमता हेतु आरईसी रजिस्ट्री को वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 8.2 आरईजीएस को जारी आरईसी को उस उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को अंतरित किया जाएगा जिसके साथ ऐसे आरईजीएस का वीपीपीए के अधीन अनुबंध है।
- 8.3 उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को अंतरित होने के बाद, प्रमाणपत्र समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आरपीओ/आरसीओ के अलावा, उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता के क्रेडिट में जो प्रमाणपत्र हैं, उन्हें आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए आगे ले जाया जा सकता है। वीपीपीए के अधीन उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता या आरईजीएस, आरईसी की प्राप्ति के बारे में आरईसी रजिस्ट्री को सूचित करेगा। केन्द्रीय एजेंसी, उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता द्वारा आरपीओ/आरसीओ के साथ अनुपालन के लिए उपयोग किए जाने के बाद ऐसे प्रमाणपत्रों को समाप्त करेगी और अपने रिकॉर्ड अद्यतित करेगी।
- 8.4 वीपीपीए के अधीन उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता, अपने आरपीओ/आरसीओ अनुपालन, यथास्थिति, को पूरा करने के लिए ऐसे प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्र होंगे।

9. विवाद समाधान

- 9.1 वीपीपीए से उत्पन्न होने वाले विवाद अनुबंध के निबंधनों के अनुसार पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./639/2025-26]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2025

F. No. L-1/257/2020/(PMR-4)/CERC.— Guidelines for Virtual Power Purchase Agreements

1. Introduction

- 1.1. India has made great strides in the addition of RE capacity towards achieving its ambitious targets of 500 GW of installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030. In furtherance of accelerating the addition of RE capacity, the Central Government, in October 2023, under section 14(n) and (x) of the Energy Conservation Act, 2001, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency (BEE), has specified the minimum required share of non-fossil energy consumption for Designated Consumers. This includes different consumption requirements of electricity from various non-fossil fuel sources based on the consumer category, such as electricity distribution licensees, open-access consumers, and captive users, with respect to their total electricity consumption. The Renewable Consumption Obligation (RCO) targets can be met directly or through Renewable Energy Certificates (RECs). Any shortfall in achieving specified RCO targets is treated as non-compliance, and penalties are imposed accordingly.
- 1.2. Based on the study of international practices, it emerges that the Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) could be evolved as another instrument to enable the Designated Consumers to meet their RCO targets.
- 1.3. VPPAs being innovative contracts in terms of nature and structure, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) sought the opinion from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on the regulatory jurisdiction over VPPAs. SEBI, in its letter dated 31st January 2025, to CERC, opined that VPPAs are bilateral Over The Counter (OTC) Contracts, which are non-tradable and non-transferable. Hence, if VPPAs or any such OTC Contracts were to be considered as Non-Transferable Specific Delivery (NTSD), the provisions of the Securities Contracts Regulation Act, 1956 (SCRA) would not apply, and such contracts would come under the regulatory purview of CERC.
- 1.4. Ministry of Power (MoP), vide communication dated 3rd March 2025, has requested CERC to devise a suitable regulatory framework for Virtual Power Purchase Agreements as NTSD-based OTC Contracts for facilitating RCO compliance by the regulated entities.
- 1.5. In pursuance of the above, and in the exercise of the powers conferred under Regulation 54(3) of the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, the Commission issues the following Guidelines.

2. TITLE AND APPLICABILITY

- 2.1. These Guidelines may be called the “Guidelines for Virtual Power Purchase Agreements”.
- 2.2. These Guidelines shall come into effect from such date as may be notified by the Commission separately and shall be reviewed from time to time or as and when decided by the Commission.
- 2.3. These Guidelines shall apply to the parties entering into Virtual Power Purchase Agreements (VPPAs) as defined in these Guidelines.

3. SCOPE OF THE GUIDELINES

- 3.1. These Guidelines seek to describe the statutory framework for VPPAs.

4. DEFINITIONS

- 4.1. In these Guidelines, unless the context otherwise requires,
 - a) “**Commission**” means the Central Electricity Regulatory Commission constituted under Section 76 of the Electricity Act, 2003.
 - b) “**Consumer**” shall be as defined under the Electricity Act, 2003, as amended from time to time.
 - c) “**Designated Consumer**” shall be as defined under the Energy Conservation Act, 2001, as amended from time to time.
 - d) “**Over The Counter (OTC) Contracts**” shall be as defined under the Power Market Regulations, 2021.
 - e) “**Power Exchange**” shall be as defined under the Power Market Regulations, 2021.

- f) **“Power Market Regulations”** or **“PMR 2021”** means the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.
 - g) **“Renewable Consumption Obligation”** or **“RCO”** shall have the same meaning as defined in the Energy Conservation Act, 2001, as amended from time to time.
 - h) **“Renewable Energy Certificates”** or **“RECs”** shall have the same meaning as defined under the REC Regulations.
 - i) **“Renewable Purchase Obligation”** or **“RPO”** shall have the same meaning as specified in terms of provisions of Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003.
 - j) **“REGS”** shall be as defined under the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023.
 - k) **“REC Regulations”** means the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.
 - l) **“Settlement Price”** means the price discovered in Power Exchange or through any other mode authorised under the Electricity Act, 2003, or the PMR 2021, for the sale of electricity for purposes other than for RPO/ RCO compliance.
 - m) **“Trading Licensee”** shall be as defined under the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020.
 - n) **“Virtual Power Purchase Agreement (VPPA)”** means the NTSD based OTC Contracts entered into between a Consumer or a Designated Consumer and a REGS, wherein the Consumer or the Designated Consumer guarantees payment of the mutually agreed price (VPPA Strike Price) to the REGS for the entire duration of the agreement. The REGS shall sell electricity in a power exchange or through any other mode authorised under the Electricity Act, 2003, or the PMR 2021, and such sale shall be for purposes other than for RPO/ RCO compliance. The difference between the VPPA Strike Price and the Settlement Price shall be settled bilaterally between the contracting parties as per mutually agreed terms.
 - o) **“VPPA Strike Price”** means the price of electricity as mutually agreed between a Consumer or a Designated Consumer and a REGS.
- 4.2. Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these Guidelines and not defined, but defined in the Electricity Act, 2003, or the Energy Conservation Act, 2001, or other regulations made thereunder shall have the meaning assigned to them in the said Acts or other regulations.

5. OVERVIEW OF VIRTUAL POWER PURCHASE AGREEMENT (VPPA)

- 5.1. The Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) between a REGS and a Consumer or a Designated Consumer under these Guidelines shall have the following essential features:
 - a) The electricity generated by REGS shall be sold through any mode authorised under the Electricity Act, 2003, or the PMR 2021 for physical delivery;
 - b) RECs issued to REGS shall be transferred to the Consumer or the Designated Consumer;
 - c) The VPPA shall be a bilateral OTC non-tradable and non-transferrable contract; and
 - d) The VPPA shall have a duration of at least 1 (one) year.
- 5.2. Consumer or Designated Consumer may execute VPPA with REGS at a mutually agreed VPPA Strike Price.
- 5.3. The REGS shall sell electricity through any mode authorised under the Electricity Act, 2003, or the PMR 2021, as per mutually agreed terms and conditions, and such sale shall be for purposes other than for RPO/ RCO compliance.
- 5.4. RECs transferred to the Consumer or Designated Consumer shall not be eligible for trading.

6. IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

- 6.1. A Consumer or a Designated Consumer may enter into a VPPA with a REGS as an Over The Counter Contract, on mutually agreed terms and conditions.
- 6.2. The REGS shall be registered in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, or amendments thereof.
- 6.3. REGS shall be allowed to sell the electricity component through power exchange or any other mode authorised under the Electricity Act, 2003, or the PMR 2021, and such sale shall be for purposes other than for RPO/ RCO compliance. The RECs received thereby shall be transferred to the Consumer or Designated Consumer who can use such RECs for RPO/ RCO compliance.
- 6.4. The VPPA for RPO/ RCO compliance shall be non-tradable and non-transferable, and the contracting parties shall be bound by the contract terms for the entire period of the contract. In case of a change of ownership, the responsibilities of REGS under the VPPA shall be transferred, as per applicable laws.

7. PAYMENT TERMS

- 7.1. The REGS shall sell electricity through power exchange or any other mode authorised under the Electricity Act, 2003, or the PMR 2021, and such sale shall be for purposes other than for RPO/ RCO compliance. The difference between the VPPA Strike Price and the Settlement Price shall be settled bilaterally between the contracting parties in accordance with mutually agreed terms and conditions.

8. RENEWABLE ENERGY CERTIFICATES

- 8.1. The REGS capacity contracted through VPPA shall be eligible for issuance of RECs upon registering in accordance with and in terms of the eligibility conditions specified in the REC Regulations. The REGS shall submit an undertaking for capacity contracted through VPPA to the REC Registry to avoid any double accounting of the said REGS capacity.
- 8.2. RECs issued to the REGS shall be transferred to the Consumer or the Designated Consumer with whom such REGS has a contract under VPPA.
- 8.3. The Certificates, once transferred to the Consumer or the Designated Consumer, shall stand extinguished. Further, Certificates to the credit of the Consumer or the Designated Consumer, over and above the RPO/ RCO, can be carried forward for compliance in future years. The Consumer or Designated Consumer or REGS under VPPA shall communicate to the REC Registry the receipt of RECs. The Central Agency shall extinguish such Certificates after they are used for compliance with the RPO/ RCO by the Consumer or the Designated Consumer and shall update its records.
- 8.4. The Consumer or the Designated Consumer under the VPPA shall be eligible to meet their RPO/ RCO compliance, as the case may be, by way of such Certificates.

9. DISPUTE RESOLUTION

- 9.1. Any disputes arising out of VPPA shall be mutually settled by the parties as per the terms of the contract.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./639/2025-26]